


महात्मा गांधी नरेगा योजना की सामाजिक अकेंक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023



MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान

Email id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-227033


WebSite: www.socialaudit.rajasthan.gov.in



विषय-वस्तु

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	महात्मा गांधी-नरेगा योजना	01
	योजना के सामाजिक अंकेक्षण का कार्य, उद्देश्य व लक्ष्य	02
	योजना वित्त पोषण	03
2.	योजना में की गई विशेष पहल	04
	महात्मा गांधी-नरेगा योजना का केन्द्रीय व राज्य स्तरीय Management Structure और Implementation Structure	05-06
3.	राजस्थान में महात्मा गांधी-नरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र	07
4.	महिलाओं को दिये गये रोजगार का विवरण मय चार्ट	08-09
5.	जिलेवार कार्यों की प्रगति	10
	जिलेवार संभागवार विवरण मय चार्ट	11-13
6.	सामाजिक अंकेक्षण हेतु सात मुख्य अभिलेख एवं अन्य अभिलेख	14
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)		
7.	परिचय-सामाजिक अंकेक्षण	16
	सामाजिक अंकेक्षण- उद्देश्य	17-18
	सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया	19
	सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन, संरचना, योजनाएं	19-20
8.	सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश (MANDATE)	21
	सामाजिक अंकेक्षण के मंत्रालय आदेश	22
9.	वर्ष 2022-23 में माहवार अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की सूचना मय चार्ट	23
10.	अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताएँ/कमियों के बिन्दु	24
11.	अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	25
12.	ग्राम पंचायतवार महात्मा गांधी- नरेगा में पाई गई अनियमितताओं/कमियों का विवरण	26-40

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना



Government of Rajasthan

Society for Social Audit, Accountability and Transparency (SSAAT) Rajasthan, Jaipur

सामाजिक लेखा परीक्षा, जबाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी

SSAAT, RAJASTHAN



1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य "कार्य करने का अधिकार" है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा



को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करते हैं, को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है। अधिनियम पहली बार भारत के 625 जिलों में कार्यान्वित किया गया। इस पायलट अनुभव के आधार पर, एनआरईजीए को 1 अप्रैल, 2008 से भारत के सभी जिलों में शामिल करने के लिए तैयार किया गया था। इस कानून को सरकार द्वारा "दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम" कहा जाता है। विकास रिपोर्ट 2014, विश्व बैंक ने इसे "ग्रामीण विकास का तारकीय उदाहरण" कहा।

महात्मा गांधी-नरेगा को "एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसके लिए प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मैनुअल काम करने के लिए किया गया था। मनरेगा का उद्देश्य है कि टिकाऊ संपत्तियां (जैसे सड़कों, नहरों, तालाबों, कुओं) का निर्माण करें, आवेदक के निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है, और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिला है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं। इस प्रकार मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हकदारी है।

बेरोजगारी भत्तों की भुगतान प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

- एक वित्तीय वर्ष में प्रथम 30 दिनों हेतु बेरोजगारी भत्तों की दर न्यूनतम मजदूरी की दर की "एक चौथाई" होगी।
- वर्ष के शेष दिनों हेतु यह दर न्यूनतम मजदूरी दर की "आधी" होगी।
- बेरोजगारी भत्ते का भुगतान 15 दिवस के भीतर किया जाना होगा।

महात्मा गांधी-नरेगा योजनान्तर्गत होने वाले कार्य:-

मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत में होने वाले निम्न कार्यों के अन्तर्गत सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिया जाता है।

- ✓ आवास निर्माण कार्य।
- ✓ जल संरक्षण कार्य।
- ✓ बागवानी कार्य।
- ✓ गौशाला निर्माण कार्य।
- ✓ वृक्षारोपण कार्य।
- ✓ लघु सिंचाई कार्य।
- ✓ ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।
- ✓ भूमि विकास कार्य।
- ✓ बाढ़ नियंत्रण कार्य, आदि।

महात्मा गांधी-नरेगा योजना के मूल उद्देश्य-

ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को माँग के अनुरूप एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन तक का गारण्टीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना जो निर्धारित गुणवत्ता और टिकाऊपन के उत्पादक परिसम्पत्ति के रूप में पारिणित हो।

- ✓ गरीबों के आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ करना।
- ✓ सामाजिक समावेशन को स्व-घोषित रूप में सुनिश्चित करना।
- ✓ पंचायतीराज संस्थाओं को सशक्त करना।

महात्मा गांधी-नरेगा के लक्ष्य:-

- ✓ मजदूरी रोजगार अवसरों की गारण्टी देकर ग्रामीण भारत में सर्वाधिक कमजोर लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- ✓ टिकाऊ परिसम्पत्तियाँ सृजित करने वाले कार्यों के सापेक्ष मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने वाले अवसरों के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन आधार को पुनर्जीवित करना।
- ✓ टिकाऊ एवं उत्पादक ग्रामीण परिसम्पत्ति आधार तैयार करना।
- ✓ अधिकार आधारित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषतया महिलाओं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का सशक्तीकरण।
- ✓ विभिन्न गरीबी उन्मूलन तथा आजीविका संसाधनों के अभिमुखीकरण के माध्यम से सहभागी एवं विकेंद्रित नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ करना।

वित्त-पोषण

महात्मा गांधी-नरेगा योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले व्यय निम्नानुसार है:-

- केन्द्र सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले व्यय :-

- अकुशल श्रमिकों की मजदूरी भुगतान की सम्पूर्ण राशि।
- अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों की मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय राशि का 75 प्रतिशत अंश।
- श्रम एवं सामग्री के कुल व्यय का 6 प्रतिशत के बराबर प्रशासनिक व्यय की राशि।

- राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले व्यय :-

- अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों की मजदूरी भुगतान तथा सामग्री पर व्यय राशि का 25 प्रतिशत अंश।
- रोजगार की मांग करने पर निर्धारित अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में श्रमिक को देय बेरोजगारी भत्ता की राशि।
- राजस्थान रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासनिक व्यय।

- जियो टैगिंग:-

- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित परिसम्पत्ति के संधारण एवं परिणाम की जानकारी हेतु परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग किये जाने का प्रावधान है। इसके तहत फेज़-1 में योजनान्तर्गत पूर्ण किये गये समस्त कार्यों की जियो टैगिंग वर्ष 2016-17 से प्रारम्भ की गई।
- फेज़-2 के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 2017 से योजनान्तर्गत क्रियान्वित कार्यों की जियो टैगिंग तीन चरणों (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य क्रियान्वयन के दौरान तथा कार्य पूर्णता पश्चात) में प्रारम्भ की गई। फेज़-1 अन्तर्गत कुल 1480898 पूर्ण कार्यों की जियो टैगिंग की गई है। फेज़-2 अन्तर्गत कुल 277635 पूर्ण कार्यों की जियो टैगिंग की गई है।

2. महात्मा गांधी-नरेगा योजना में की गई विशेष पहल

विज्ञान और तकनीकी उन्नति के युग में इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि भौगोलिक

सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग करके महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। राज्य में इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्यों की योजना उन्नत तकनीकों जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और रिमोट सेंसिंग (RS) का उपयोग करके की जानी प्रारम्भ की गई है। GIS भौगोलिक इलाके का मानचित्रण और विश्लेषण करने के लिए एक कंप्यूटर-आधारित तकनीक है,



जो क्षेत्र के लिए उपयुक्त विकास कार्यों के वैज्ञानिक विकल्प प्रदान करता है। यह तकनीक मानचित्र द्वारा पेश किए गए अद्वितीय दृश्य और भौगोलिक विश्लेषण लाभों के साथ सामान्य डेटाबेस और सांख्यिकीय विश्लेषण को एकीकृत करती है। राज्य



में प्रत्येक ग्राम पंचायत की कार्य योजना बनाने के लिए GIS तकनीक का उपयोग कर प्लान बनाये गये हैं। ताकि वैज्ञानिक तरीके से खोजे गये विकल्पों पर ग्राम सभा के समक्ष चर्चा होकर, वास्तविक रूप से कराये जाने वाले कार्यों का निर्धारण हो सके एवं प्राथमिकता तय की जा सके। **SECURE SOFT** ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के तकमीने




ऑनलाईन तैयार कर तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने हेतु **SECURE SOFT** लॉन्च किया गया। राजस्थान में **SECURE SOFT** को लागू करने से पहले पायलट जिले के रूप में जयपुर जिले का चयन किया गया। जयपुर जिले द्वारा **SECURE SOFT** पर कार्य करने के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर दिनांक 24.03.2019 से सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया।

सभी जिलों द्वारा **SECURE SOFT** का कार्य शुरू कर दिया गया है। राज्य में सभी जिलों द्वारा ऑनलाईन एस्टीमेट तैयार कर प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा रही है। उक्त सॉफ्टवेयर के उपयोग से राज्य में ग्राम पंचायतों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये जा रहे समस्त कार्यों के तकमीने, तकनीकी स्वीकृतियाँ एवं वित्तीय स्वीकृतियां ऑनलाईन उपलब्ध है। जिससे कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आई है।


मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायत (जीपी) द्वारा लागू किया जाना है। ठेकेदारों की भागीदारी प्रतिबंधित है। जल संचयन, सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना बनाने जैसे श्रम-गहन कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और ग्रामीण संपत्तियों को बनाने के अलावा, एनआरईजीए पर्यावरण की रक्षा, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करने और सामाजिक इक्विटी को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

MG-NREGA MANAGEMENT STRUCTURE AT CENTRAL & STATE LEVEL



IMPLEMENTATION STRUCTURE



अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रत्येक राज्य योजना के अनुसार कार्य प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है व धारा 4 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार को कार्य की मांग करने वालों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना बनाना आवश्यक है।

3. राजस्थान में महात्मा गांधी-नरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र

महात्मा गांधी-नरेगा योजना सम्पूर्ण राजस्थान में संचालित की जा रही है। वर्ष 2022-2023 में राजस्थान के समस्त जिलों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है। जिनका संभागवार विवरण निम्नानुसार है:-


क्र.सं.	संभाग	जिलों के नाम
1	जयपुर	जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा
2	जोधपुर	बाडमेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही
3	अजमेर	अजमेर, भीलवाडा, नागौर, टोंक
4	उदयपुर	उदयपुर, बांसवाडा, चित्तोड़गढ, प्रतापगढ, डुंगरपुर, राजसमंद
5	बीकानेर	बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ
6	कोटा	बारां, बूंदी, झालावाड, कोटा
7	भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर
कुल	7	33

+

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्य श्रेणी के अनुसार महिलाओं को दिये गये रोजगार का विवरण

कार्य श्रेणी	कार्यरत महिला कर्मचारी	महिला व्यक्तिदिन (लाखों में)	चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्जित राशि (लाखों में)	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित राशि लेकिन भुगतान चालू वर्ष (लाखों में)
ग्रामीण संपर्क	1754202	435.46942	81673.6746	2172.082
जल संरक्षण और जल संचय	2906132	1037.6223	185845.747	3641.247
पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण	827190	229.58165	40964.1743	814.146
बाढ़ नियंत्रण	99550	21.95704	3986.0788	87.85887
सूखारोधन	402057	98.10951	18561.8949	409.3906
सिंचाई नहरें	465181	135.72683	25126.9314	437.9343
सिंचाई सुविधाएं अ.जा./ अ.ज.जा / इंदिरा आवास योजना / ल.र वर्ग के लिए	1019673	309.46748	67099.2374	2541.933
भूमि विकास	294677	64.72305	11515.5451	300.1355
Bharat Nirman Rajeev Gandhi Sewa Kendra	0	0	0	0
Coastal Areas	113	0.01964	4.0519	0.47957
Rural Drinking Water	0	0	0	0
Fisheries	116	0.01743	3.00196	0
Rural Sanitation	21407	3.4183	699.31005	26.08425
अन्य कार्य	51	0.00569	1.26908	0.1808
महायोग	7790349	2336.1184	435480.917	10431.472

Source: nrega.nic.in





4. राजस्थान में महात्मा गांधी-नरेगा योजना की जिलेवार कार्यों की प्रगति


वित्तीय वर्ष 2022-2023						UPDATED 26-07-2023
क्रमसंख्या	जिला	शुरू किए गए कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	अभी तक पूरा नहीं हुआ	कार्य पूर्ण होने की दर	
1	AJMER	7815	1429	6386	18.29	
2	ALWAR	3800	444	3356	11.68	
3	BANSWARA	26408	4105	22303	15.54	
4	BARAN	3526	614	2912	17.41	
5	BARMER	20466	5935	14531	29	
6	BHARATPUR	2173	72	2101	3.31	
7	BHILWARA	14798	1606	13192	10.85	
8	BIKANER	9722	1249	8473	12.85	
9	BUNDI	2580	538	2042	20.85	
10	CHITTORGARH	3812	1073	2739	28.15	
11	CHURU	4281	680	3601	15.88	
12	DAUSA	2085	96	1989	4.6	
13	DHOLPUR	2060	270	1790	13.11	
14	DUNGARPUR	13534	4248	9286	31.39	
15	HANUMANGARH	5100	870	4230	17.06	
16	JAIPUR	4286	319	3967	7.44	
17	JAISALMER	7046	1425	5621	20.22	
18	JALORE	4490	797	3693	17.75	
19	JHALAWAR	11047	3159	7888	28.6	
20	JHUNJHUNU	2178	181	1997	8.31	
21	JODHPUR	10136	1562	8574	15.41	
22	KARALI	7537	1559	5978	20.68	
23	KOTA	2230	305	1925	13.68	
24	NAGOUR	6288	527	5761	8.38	
25	PALI	3403	318	3085	9.34	
26	PRATAPGARH	9499	1290	8209	13.58	
27	RAJSAMAND	2790	138	2652	4.95	
28	SAWAI MADHOPUR	7491	3415	4076	45.59	
29	SIKAR	3299	173	3126	5.24	
30	SIROHI	2284	216	2068	9.46	
31	SRI GANGANAGAR	8810	3328	5482	37.78	
32	TONK	12466	5141	7325	41.24	
33	UDAIPUR	13254	1574	11680	11.88	
	Total	240694	48656	192038	20.21	

Source:-Narega.nic.in

राजस्थान में महात्मा गांधी-नरेगा योजना के जिलेवार कार्यों का मय चार्ट संभागवार विवरण




अजमेर संभाग




	शुरू किए गए कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	अभी तक पूरा नहीं हुआ	कार्य पूर्ण होने की दर
TONK	12466	5141	7325	41.24
NAGAUAR	6288	527	5761	8.38
BHILWARA	14798	1606	13192	10.85
AJMER	7815	1429	6386	18.29

उदयपुर संभाग




	शुरू किए गए कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	अभी तक पूरा नहीं हुआ	कार्य पूर्ण होने की दर
UDAIPUR	13254	1574	11680	11.88
RAJSAMAND	2790	138	2652	4.95
PRATAPGARH	9499	1290	8209	13.58
DUNGARPUJ	13534	4248	9286	31.39
CHITTORGARH	3812	1073	2739	28.15
BANSWARA	26408	4105	22303	15.54

बीकानेर संभाग




	शुरू किए गए कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	अभी तक पूरा नहीं हुआ	कार्य पूर्ण होने की दर
■ SRI GANGANAGAR	8810	3328	5482	37.78
■ HANUMANGARH	5100	870	4230	17.06
■ CHURU	4281	680	3601	15.88
■ BIKANER	9722	1249	8473	12.85

कोटा संभाग



	शुरू किए गए कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	अभी तक पूरा नहीं हुआ	कार्य पूर्ण होने की दर
■ KOTA	2230	305	1925	13.68
■ JHALAWAR	11047	3159	7888	28.6
■ BUNDI	2580	538	2042	20.85
■ BARAN	3526	614	2912	17.41

भरतपुर संभाग



	शुरू किए गए कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	अभी तक पूरा नहीं हुआ	कार्य पूर्ण होने की दर
■ SAWAI MADHOPUR	7491	3415	4076	45.59
■ KARAUALI	7537	1559	5978	20.68
■ DHOLPUR	2060	270	1790	13.11
■ BHARATPUR	2173	72	2101	3.31

5. सामाजिक अकेंक्षण हेतु सात मुख्य अभिलेख व अन्य अभिलेख

सात मुख्य अभिलेख	अन्य अभिलेख
I. जॉब कार्ड आवेदन, पंजीकरण, जॉब कार्ड निर्गमन एवं परिवारों को उपलब्ध कराये गये रोजगार की पंजिका।	I. ई-मास्टर रोल।
II. ग्राम सभा की बैठक कार्यवृत्त, कार्यों की प्राथमिकता सूची एवं सोशल आडिट सभा की कार्यवृत्त की पंजिका।	II. मस्टर रोल प्राप्ति सूची।
III. कार्य की मांग, कार्यों का आवंटन एवं मजदूरी भुगतान की पंजिका।	III. कार्यों की वरीयता सूची (सेल्फ ऑफ वर्क)
IV. कार्य पंजिका।	IV. निविदा/संविदा पंजिका।
V. स्थायी परिसम्पत्ति पंजिका।	V. प्रशासनिक स्वीकृति।
VI. शिकायत पंजिका।	VI. कार्य का प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति।
VII. सामग्री पंजिका।	VII. वित्तीय स्वीकृति।
	VIII. माप पुस्तिका।
	IX. कार्यपूर्ती प्रमाण-पत्र।
	X. लेबर बजट।
	XI. वाउचर फोल्डर।
	XII. कैशबुक एवं लेजर।

सामाजिक लेखा परीक्षा,
जवाबदेही एवं
पारदर्शिता सोसायटी
(SSAAT)



Government of Rajasthan

Society for Social Audit, Accountability and Transparency (SSAAT) Rajasthan, Jaipur

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी

* सर्वोत्तमं, सर्वोत्तमं *
SSAAT, RAJASTHAN

7. परिचय-सामाजिक अंकेक्षण

सामाजिक अंकेक्षण जन निरीक्षण की एक सतत् प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता के प्रति शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य अंगों में पारदर्शिता, भागीदारी, विचार-विमर्श,



जवाबदेही, परिवेदना/शिकायतों का त्वरित निवारण आते हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं अन्य विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक अंकेक्षण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17(2) में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत करवाए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की लेखा परीक्षा नियम 2011 में सामाजिक अंकेक्षण के लिये अंकेक्षण मानक स्थापित किये गये हैं। इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी

नरेगा योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यों का ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने का प्रावधान है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वार्षिक मास्टर परिपत्र 2019-20 के अध्याय 10 के बिन्दु संख्या 10.1.1 में सामाजिक अंकेक्षण हेतु एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई स्थापित करने का प्रावधान है।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक M13015/2021/MGNREGA Vii/pt- दिनांक 11.08.2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्री मण्डलीय ज्ञापन संख्या एफ11(8)/ग्रा.वि./नरेगा/सिविल सोसायटी/सा.अंके./2015 दिनांक 19.06.2019 पर हुए मंत्रीमण्डलीय आज्ञा क्रमांक डी.49/मं.मं./2019 दिनांक 27.06.2019 पालना में SSAAT के गठन का अनुमोदन किया गया। इसकी पालना में SSAAT का पंजीकरण राजस्थान पंजीयन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अन्तर्गत करवाया गया जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक COOP/2019/Jaipur/104900 दिनांक 20.08.2019 है। SSAAT की विधिवत अधिसूचना राजस्थान राजपत्र साधारण दिनांक 19.09.2019 में प्रकाशित की गई है।

उपरोक्तानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई SSAAT का गठन किया गया है। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की बेहतर पालना की जा सकेगी, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा, मिड-डे-मील योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो एवं योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है।

सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य-

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वास्तविक लाभार्थियों को सम्पूर्ण अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु समाज के प्रभावित पक्षों, सिविल सोसायटी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं आम नागरिकों द्वारा तथ्य परख निगरानी व्यवस्था ही "सामाजिक अंकेक्षण" है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शब्दों में "पारदर्शिता" एवं "जवाबदेहिता" लोकतंत्र के दो स्तंभ हैं- एक अवधारणा के रूप में सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता-दोनों के उद्देश्यों की जमीनी स्तर पर पूर्ती करता है। सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत



स्वैच्छिक संस्था "मजदूर किसान शक्ति संगठन" द्वारा की गयी, जिसमें सरकारी कार्यो एवं व्यय का सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान के भीलवाडा जिले में 2009-10 से प्रारम्भ किया गया। पंचायती राज अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं सरकार के कार्यो की स्थानीय निगरानी का कार्य सौंपा गया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 ई-गवर्नेंस आदि के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की नींव रखी गयी तथा जनता को सरकारी रिकॉर्डों तक पहुँच प्रदान की गयी।

सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य निम्नानुसार है:-

- सामाजिक अंकेक्षण सामाजिक कल्याण के लिये उठाए गए कदमों के उद्देश्यों और वास्तविकता के बीच अंतर को पाटने का काम करता है।
- सामाजिक अंकेक्षण सरकारी धन के उपयोग का गुणवत्तापरक एवं परिमाणात्मक परीक्षण करता है तथा पारदर्शिता बहाल करता है।
- यह विकास कार्यों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है तथा इस प्रकार लोकतंत्र एवं स्थानीय स्व-शासन की अवधारणा को मजबूती प्रदान करता है।
- यह जनता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है तथा सरकारी योजनाओं एवं कल्याण कार्यों की सूचना प्रदान करता है।
- यह सरकार तथा नौकरशाही को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाता है तथा भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता करता है।
- यह हाशिये पर स्थित समुदायों तक सरकारी लाभों को पहुँचाने में तथा उनकी शिकायतों के निपटान के लिये एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- सामाजिक अंकेक्षण योजनाओं की निगरानी एवं जनता की आवश्यकताओं के अनुसार उनमें संशोधन करने में सक्षम करता है।

इस हेतु विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देशों में भारत सरकार द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने संबंधी निर्देशों का समावेश किया हुआ है ताकि उन योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो रहे हैं, कि समीक्षा जनसाधारण द्वारा होती रहे, समस्त वांछित सूचनायें पूर्ण पारदर्शितापूर्वक उपलब्ध हो सके तथा सबसे कमजोर वर्ग की आवाज भी शासन के सर्वोच्च पदों पर पदासीन अधिकारियों तक सुगमतापूर्वक पहुंचे। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ऐसा प्रथम राष्ट्रीय कानून है, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को विधिवत् स्वीकार किया गया 00 MGNREGA के अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हेतु सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाया गया है।


सोशल ऑडिट की अवधारणा के तहत सूचनाओं को आमजन तक पहुँचाया जाता है, ताकि किसी कार्यक्रम के लिए नीति बनाने से लेकर उसके कार्यान्वयन और मूल्यांकन तक का ब्यौरा पारदर्शी हो सके।



सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया

सर्वप्रथम सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा सामाजिक अंकेक्षण हेतु वार्षिक कार्य योजना बनायी जाती है इसके उपरान्त कार्ययोजना के अनुसार माहवार कलैण्डर जारी किया जाता है। तदनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के निर्देशों के अंतर्गत संबंधित पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण दलों का गठन जिसमें एक ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (बी. आर.पी.) एवं पांच ग्राम संसाधन व्यक्ति (वी.आर.पी.) का गठन किया जाता है। बी.आर.पी. द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों से अंकेक्षण अवधि का रिकॉर्ड प्राप्त किया जाता है। रिकॉर्ड की जाँच की जाती है साथ ही योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धित गतिविधियों का अंकेक्षण दल द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है। जाँच दौरान पाई गई अनियमितताओं की एक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में बना कर ग्राम सभा के दिन जाँच दल द्वारा ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाती है। ग्राम सभा में उठाए गए मुद्दों पर Action Taken रिपोर्ट सोशल आडिट यूनिट तथा उस व्यक्ति को जिसकी शिकायत रिपोर्ट में दर्ज है, उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम सभा से अनुमोदित रिपोर्ट नरेगा सॉफ्ट/संबन्धित योजना के पोर्टल/गूगल लिंक पर अपलोड की जाती है।

सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के चरण निम्नानुसार है—



सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन

भारत सरकार के आदेश क्रमांक M-13015/2012/MGNREGA-VII/P दिनांक 11.08.2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्रीमण्डलीय ज्ञापन दिनांक 19.06.2019 पर हुए मंत्री मण्डलीय आज्ञा दिनांक 27.06.2019 की पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के गठन का अनुमोदन किया गया। सोसायटी का पंजीकरण राजस्थान सोसायटीज अधिनियम 1958 के अन्तर्गत दिनांक 20.08.2019 को किया गया जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 19.09.2019 को किया गया

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की संरचना:-

सोसायटी के समस्त क्रियाकलापों का क्रियान्वयन एक शासी निकाय (GB) के निर्देशन में होगा। शासी निकाय में अध्यक्ष मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, उपाध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा सदस्य शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग सहित कुल 13 सदस्य होंगे। शासी निकाय के निर्देशों की पालना कराने एवं नियमित कार्य संचालन हेतु निर्णय करने के लिये एक कार्य समिति (EC) होगी। कार्यकारी समिति (EC) में अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, उपाध्यक्ष शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग तथा सदस्य सचिव निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) सहित कुल 18 सदस्य होंगे।

सोसायटी द्वारा अंकेक्षित योजनाएँ :-

भारत सरकार/राज्य सरकार की अन्य कई सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाने बाबत विधिक प्रावधान/प्रशासनिक निर्देश है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सोसायटी द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मिड-डे-मील योजना, 15 वे वित्त आयोग तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो एवं योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है।



8. सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश (MANDATE)

भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ करने का प्रावधान किया गया, ताकि विकेंद्रित नियोजन प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण विकास किया जा सके। इस उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा 2 फरवरी, 2006 में देश के चुने हुए 200 अति पिछड़े जनपदों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई। द्वितीय चरण में देश के 330 अन्य जनपदों को भी योजना में सम्मिलित किया गया तथा 1 अप्रैल, 2008 से रोजगार गारंटी योजना को पूरे देश में चलाया जा रहा है जिसे 2 अक्टूबर, 2009 से केन्द्र सरकार द्वारा नाम संशोधित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कर दिया गया है।



राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन में सामाजिक अंकेक्षण हेतु, निम्नलिखित पक्ष को सम्मिलित किया गया है:-

- ❖ लाभार्थियों का पंजीकरण।
- ❖ जॉब कार्ड का निर्गमन एवं उसमें अद्यतन प्रविष्टियाँ।
- ❖ कार्य चाहने वाले आवेदन पत्रों की प्रति।
- ❖ परियोजनाओं का चयन।
- ❖ कार्यों का निष्पादन।
- ❖ प्रमुख दस्तावेजों का संधारण।

- ❖ पारिश्रमिक भुगतान ।
- ❖ सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, राज्यों में स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाइयों (SAU) के गठन का प्रावधान किया गया है।
- ❖ CAG द्वारा भी सामाजिक अंकेक्षण मानकों का निरूपण किया गया है, जिन्हें प्रत्येक राज्य द्वारा लागू किया जाना अनिवार्य है।

सोशल आडिट किसी योजना का कार्यक्रम को समुदाय द्वारा मुख्य पणधारकों के सक्रिय लिप्तीकरण के साथ क्रान्तिक पर्यवेक्षण है। इसमें राशि वितरण के निवारण, रोजगार पाने वालों की संख्या, प्रयुक्त सामग्री के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वित किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता का आडिट सम्मिलित है। आम जन स्थनीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सोशल आडिट करेगे।

आडिट ऑफ स्कीम रूल्स 2011 के नियम के अनुसार मनरेगा कार्यों के सोशल आडिट के आयोजन को “सोशल आडिट यूनिट” सुगम बनाएगी। सोशल आडिट यूनिट सोशल आडिट आयोजन में ग्राम-सभा को सुविधा प्रदान करने का निमित्त पर्याप्त संख्या में राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लाक संसाधन व्यक्ति तथा ग्राम संसाधन व्यक्तियों को चिन्हित, प्रशिक्षित एवं परिनियोजित करेगी।

सोशल आडिट टीम को आडिट करने के पूर्व महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण फार्मेट-1 पंचायत रिपोर्ट कार्ड, फार्मेट-2A – कराये गये कार्य (Works Executed), फार्मेट-2B- कराये गये कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय {Work Expenditure (Wages & Material) } फार्मेट-3-मजदूरों को मजदूरी का भुगतान (Payment of Workers) फार्मेट-4- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (SC/ST) परिवारों की हकदारी (Entitlements to SC/ST Households) फार्मेट में जिला विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

मंत्रालय के आदेश:-

अनुसूची एक के प्रस्तर-25 (सी) के अनुसार “सोशल आडिट यूनिट” का आयोजन कम से कम 6 माह में एक बार होना चाहिए।


अनुसूची एक के प्रस्तर 25 (बी) के अनुसार समवर्ती/संगामी “सोशल आडिट” समस्त कार्यों का प्रत्येक माह किया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना, भारत के राजपत्र असाधारण भाग द्वितीय खण्ड-3, उप खण्ड-1, तारीख 06 अप्रैल 2011 में संख्याक सा.का.नि. 307(अ). तारीख 06 अप्रैल 2011 द्वारा प्रकाशित निर्देशों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना का सामाजिक अंकेक्षण भी किया जाना प्रारंभ किया गया है इसके लिए राजस्थान के प्रत्येक ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण 2023 से प्रारंभ किया गया है।

9. वर्ष 2022-23 में माहवार अकेंक्षित ग्राम पंचायतों की सूचना

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना में हुए निर्माण कार्यो एवं लाभार्थियों के हित में किये गये कार्यो का सामाजिक अकेंक्षण वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 11249 ग्राम पंचायतो में सामाजिक अकेंक्षण सम्पन्न किया गया जिसका माहवार विवरण निम्नानुसार है:-

कं. सं.	माह का नाम	अकेंक्षण हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की संख्या	अकेंक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	विशेष विवरण
1	अप्रैल 2022	470	470	राज्य की 24 ग्राम पंचायतो को नगर पालिका में रूपान्तरण किये जाने के कारण उन 24 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अकेंक्षण नहीं किया गया है।
2	जून 2022	142	135	
3	जुलाई 2022	148	141	
4	सितम्बर 2022	302	293	
5	अक्टूबर 2022	371	371	
6	नवम्बर 2022	1112	1112	
7	दिसम्बर 2022	1059	1059	
8	जनवरी 2023(प्रथम चरण)	1066	1065	
9	जनवरी 2023(द्वितीय चरण)	1187	1187	
10	फरवरी 2023	2388	2388	
11	मार्च 2023(प्रथम चरण)	1980	1980	
12	मार्च 2023(द्वितीय चरण)	1048	1048	
	कुल योग	11273	11249	



उपरोक्त वर्णित 352 पंचायत समितियों की 11249 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अकेंक्षण वित्तीय वर्ष 2022-23 में ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों के सामाजिक अकेंक्षण दल द्वारा सम्पादित किया गया है।

10. सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताएँ/कमीयों के बिन्दु –

- ❖ समय पर रिकॉर्ड उपलब्ध न करवाने से संबंधित अनियमितताएँ।
- ❖ मजदूरी से संबंधित अनियमितताएँ।
- ❖ सामग्री से संबंधित अनियमितताएँ।
- ❖ जॉब कार्ड से संबंधित अनियमितताएँ।
- ❖ राशि भुगतान संबंधित अनियमितताएँ।
- ❖ मस्टर रोल से संबंधित अनियमितताएँ।
- ❖ मेट से संबंधित अनियमितताएँ।
- ❖ मशीनी कार्य करवाये जाने से संबंधित अनियमितताएँ।
- ❖ स्वीकृत कार्य के स्थान पर अन्यत्र कार्य करवाये जाने से संबंधित अनियमितताएँ।
- ❖ अनियमित भुगतान संबंधित अनियमितताएँ।
- ❖ सूचना बोर्ड का कार्यस्थल पर न होना से संबंधित अनियमितताएँ।
- ❖ कार्यस्थल पर पानी, छाया व मेडिकल किट से संबंधित अनियमितताएँ।
- ❖ महात्मा गांधी-नरेगा योजना के नाम पर अन्य योजना से कार्य करवाये जाने संबंधित अनियमितताएँ।
- ❖ राशि का दुरुपयोग करने से संबंधित अनियमितताएँ।
- ❖ माप-तोल संबंधित अनियमितताएँ।

6. अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

महात्मा गांधी-नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान के 33 जिलों की 11249 ग्राम पंचायतों में नरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण के दौरान अनियमितताओं की श्रेणी को 04 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो अनियमितताएं पायी गई उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1. FINANCIAL MISAPPROPRIATION (वित्तीय अनियमितता)

2. FINANCIAL DEVIATION (वित्तीय विचलन)

3. PROCESS VIOLATION (प्रक्रिया उल्लंघन)

4. GRIEVANCE (शिकायतें)

वित्तीय अनियमितता Financial Misappropriation		वित्तीय विचलन Financial Deviation		प्रक्रिया उल्लंघन Process Violation		परिवेदनाएं Grievances		कुल अनियमितताएं	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
57	17726039	91	2810010	55	333582	262	7832175	465	28701806

11. सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं का विवरण

वित्तीय अनियमितताओं (Financial Misappropriation) का विवरण :-

- Amount misappropriated by individuals through fake entries
- Payment done without construction of work
- In-appropriate work was executed
- Not Found the traces of work
- Payment to person who did not work
- Work was done with machines etc etc

वित्तीय विचलन (Financial Deviation) का विवरण :-

- Excess Values in Technical Estimate
- Expenditure amount is greater than the amount sanctioned
- NMRs not produced for Social Audit
- Public work has been done in private land
- Record not produced in some other Scheme also
- Sanction of ineligible work
- Work on private land- beneficiary does not have Job Card
- Work taken up without Administrative Sanction
- Work taken up without Gram Sabha Approval
- Work taken up without Technical Estimate

प्रक्रिया उल्लंघन (Process Violation) का विवरण :-

- Citizen Information boards are not put up
- Difference in the days worked and wages earned between JC and online entry
- Job Cards are not with workers
- Job cards have been maintained poorly
- Mate not available at worksite
- Mates have not been trained properly
- Quality of work is poor
- Wall writings have not been done
- Worksite facilities are not provided

परिवेदनाएं(Grievances) का विवरण :-

- Application for Aadhaarcad
- Complaint - application to compensate for permanently disability/death by accident arising out of and in the course of employment
- Complaint – non-provision of worksite facilities
- Complaint – work application is not accepted
- Complaint on other persons
- Complaint-Application to redress grievance was not registered or acted upon etc etc.

**सामाजिक अकेंक्षण में पायी गयी वित्तीय अनियमितताएँ
(Financial Misappropriation)**

क्र सं	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	अनियमितता	
1	अजमेर	अजमेर ग्रामीण	देवनगर	दो खेजडी वाली नाडी का सुदृढीकरण का कार्य	उस व्यक्ति को भुगतान जिसने काम नहीं किया	
			भिनाय	धालोल		रानीसागर की मोरी पर रंगलाल गुर्जर के खेतों से पाल वाले बाबा के खेतों तक मोरी खुदाई व पक्का निर्माण कार्य
			गुढाखुर्द	काला तालाब पर मिट्टी खुदाई कार्य देवपुरा में नाडी पाल सुदृढीकरण कार्य		
			बडगाँव	गणेश कस्बा बडी गुवाडी के खेत से कालू दाढी के खेत चरागाह मे मेडबदी		
			सिंगावल	सिंगावल में हियालियां सीमा पर चारागाह भूमि नई नाडी निर्माण कार्य, सिंगावल में भोपा जी की नाडी मिट्टी खुदाई कार्य व खटाणा का खेडा नेशनल हाईवे से नयातालाब मिट्टी कार्य		
			सोबडी	रा0उ0मा0वि0 सोबडी में खेल विकास कार्य		
			भिनाय	बालू नाडा का जीणोद्धार मिट्टी खुदाई कार्य, पथवारी तालाब का मॉडल तालाब के रूप में जीणोद्धार व सौन्दर्यकरण का कार्य व स्याला भाटा चारागाह में नई नाडी निर्माण कार्य		
		सिलोरा	रुपनगढ	कब्रिस्तान विकास कार्य ब्लॉक सीमेन्ट कार्य	घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है	
				सलेमाबाद	गौरव पथ से यादव के मोहल्ले से मंदिर तक बस स्टेण्ड में मिट्टी परिवहन	ऊंची दरों पर सामग्री खरीदी गई है
2	अलवर	उमरैन	भाखेडा	ग्राम पंचायत दीवार लेखन कार्य	अनुचित प्रशासनिक व्यय	
3	बांसवाडा	घाटोल	अमरसिंह का गढा	सी सी सडक निर्माण मानेगा मोगा के घर से मेन डामर रोड तक मया पुलिया पटेलिया 286368	कार्य नहीं किया गया/कार्यस्थल पर कोई कार्य नहीं पाया गया	
			बडाना	मेडबंदी कार्य भगोरापाडा फेज2 सामुदायिक स्वच्छता परीसर निर्माण बसस्टेड के पास बडाना चेकडेम निर्माण कार्यउदयलाल रावजी के खेत के पास	कार्य नहीं किया गया/कार्यस्थल पर कोई कार्य नहीं पाया गया	
4	भरतपुर	कुम्हेर	बेलारा कलां	पोखर गहरीकरण कार्य अगरवाली वपोखर परिक्रमा मार्ग	अनुचित कार्य को अंजाम दिया गया	
5	भीलवाडा	आसीन्द	कालियास	चारभुजा गडी से परमेश्वर जाट के खेत तक ग्रेवल सडक मय पुलिया निर्माण कार्य	अनुचित कार्य को अंजाम दिया गया	
			लाछूडा	छापरिया खेडा चारागाह भूमि में फार्म पोण्ड निर्माण कार्य ग्राम लाछुडा		
			बरसणी	बरसनी व जगपुरा पंचायत सीमा ज्ञान व मेडबन्दी कार्य		
			बराणा	चारागाह में नाडी निर्माण कार्य भाटी खेडा		
			सरैरी	रेमता बा का खेडा चारागाह विकास विस्तार कार्य सरैरी		
			सरैरी	रेमता बा का खेडा चारागाह विकास विस्तार कार्य सरैरी	मशीनों के द्वारा कार्य किया गया	
6	दौसा	बांदीकुई	पिचूपाडा खुर्द	श्मशान घाट समतलीकरण व चार दीवारी निर्माण कार्य पीचूपाडा खुर्द	अनुचित कार्य को अंजाम दिया गया	

7	झुंझुनू	झुंझुनू	अजाडीकला	हरिराम/गोविन्दराम के खेत में समतलीकरण टंका निर्माण कार्य	कार्य जेसीबी मशीन से करवाया गया है।	
				सुरजान/लालाराम के खेत में समतलीकरण टंका निर्माण कार्य		
				करनीराम/भागुराम के खेत समतलीकरण टंका निर्माण कार्य		
				मांगीलाल/शेराराम के खेत में समतलीकरण टंका निर्माण कार्य		
			बीबासर	ग्राम शिशया में आदर्श शमशान भूमि विकास कार्य		कार्य स्वीकृत होने से पहले ही ग्रामवासियों द्वारा चन्दा इकट्ठा कर पूर्ण कर दिया गया।
				खेमचन्द नाथाराम के खेत में समतलीकरण टंका निर्माण कार्य		निर्माण कार्य में अनियमितता।
	बुहाना	भालोठ	अनियमितभुगतान	श्रमिक के पास जोब कार्ड प्राप्त नहीं हुआ।		
	मण्डावा	अजीतगढ	शौचालय निर्माण कार्य	पूर्ण हुये शौचालयों का भुगतान कर दिया गया। कार्य स्थल पर बोर्ड नहीं।		
8	जोधपुर	बालेसर	निम्बो का गांव	सार्वजनिक शमशान घाट में गुडियाला में विश्राम भूमि समतलीकरण पौधारोपण कार्य	कार्य पूर्ण नहीं था/कार्यस्थल पर कार्य नहीं मिला	
		फलौदी	श्रीन	मेघवालो की बस्ती से हाजी अकबर के प्लाट तक ग्रेवल रोड	ग्रेवल सडक कार्य मौके पर नहीं मिला , जबकि भुगतान उठा लिया गया है।	
	पिपाड शहर		सियारा	गूढली नाडी में पश्चिम दिशा में खुदाई कार्य	मस्टरोल में लेबर हाजरी ली गई परन्तु कोई माप पुस्तिका खाली पाई गई और लेबर को पेमेंट किया गया	
				शौचालय निर्माण कार्य	शौचालय निर्मित नहीं है, लेकिन भुगतान कर दिया गया है।	
				ग्राम सियारा में ढुंढ नाडी में कोहला नाडी तक ग्रेवल सडक निर्माण कार्य 04 किमी	मस्टरोल में लेबर हाजरी ली गई परन्तु कोई माप पुस्तिका खाली पाई गई और लेबर को पेमेंट किया गया	
				शौचालय निर्माण कार्य	शौचालय निर्मित नहीं है, लेकिन भुगतान कर दिया गया है।	
				ग्राम चौकडी खुर्द में ख न 375 में नया नाडा खुदाई कार्य	मस्टरोल में लेबर हाजरी ली गई परन्तु कोई माप पुस्तिका खाली पाई गई और लेबर को पेमेंट किया गया	
				ग्राम चौकडी खुर्द में भाटीकिया नाडा खुदाई कार्य	मस्टरोल में लेबर हाजरी ली गई परन्तु कोई माप पुस्तिका खाली पाई गई और लेबर को पेमेंट किया गया	
	सेखाला	केतूमदा	केतु कल्ला से सुथारो की ढाणिया वाया रावतलाई नाडी तक ग्रेवल सडक	नागरिक सूचना पट्ट का अभाव पाया गया।		
			जेदूसिंह नगर ग्रेवल सडक किनारे वृक्षारोपण कार्य	नागरिक सूचना पट्ट का अभाव पाया गया।		
		खिरजा तिबना	खाद्यान भंडार निर्माण कार्य खिरजा तिबना	नागरिक सूचना पट्ट का अभाव पाया गया।		
		मुक्तिधाम विकास कार्य खिरजा तिबना	नागरिक सूचना पट्ट का अभाव पाया गया।			
		चारागाह विकास कार्य	मौके पर पौधे नहीं मिले।			

	जोधपुर	शेरगढ	रामनगर	शौचालय निर्माण कार्य	शौचालय निर्मित नहीं है, लेकिन भुगतान कर दिया गया है।			
				दौलानाडा खुदाई कार्य रामनगर	नागरिक सूचना पट्ट का अभाव पाया गया।			
				प्रधानमंत्री आवास योजना	नागरिक सूचना पट्ट का अभाव पाया गया।			
			किशोरनगर	राशि का दुरुपयोग	बिना कार्य किये श्रमिक को वेतन दे दिया गया।			
			गजेसिंह नगर	शौचालय निर्माण कार्य	शौचालय निर्मित नहीं है, लेकिन भुगतान कर दिया गया है।			
			गुमानसिंह पुरा	शौचालय निर्माण कार्य	शौचालय निर्मित नहीं है, लेकिन भुगतान कर दिया गया है।			
				राउमावि गुमानसिंहपुरा में खेल मैदान विकास कार्य	सूचना पट्ट का अभाव पाया गया।			
			पाबुसर	शौचालय निर्माण कार्य	सूचना पट्ट का अभाव पाया गया।			
				पीएम आवास कार्य	सूचना पट्ट का अभाव पाया गया।			
				संतोषनगर डामर सड़क से अचलाराम धतरवाल की ढाणी तक ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य	सूचना पट्ट का अभाव पाया गया।			
				चारागाह विकास कार्य शेरगढ	कार्य पूर्ण लेकिन सूचना पट्ट का अभाव			
				बाबा रामदेव नया नाडा मिटटी निकालने का कार्य	कार्य पूर्ण लेकिन सूचना पट्ट का अभाव			
				साबरसर	शौचालय निर्माण कार्य	शौचालय निर्मित नहीं है, लेकिन भुगतान कर दिया गया है।		
			साबरसर	पीएम आवास कार्य	सूचना पट्ट का अभाव पाया गया।			
				ताईबा नाडा खुदाई विरमपूरा	सूचना पट्ट का अभाव पाया गया।			
				समाणी नाडी इस्लामपुरा	सूचना पट्ट का अभाव पाया गया।			
				शौचालय निर्माण कार्य	सूचना पट्ट का अभाव पाया गया।			
				हनवंतनगर मुख्य डामर सड़क से विशनाराम सियाग की ढाणी तक ग्रेवल सड़क निर्माण	सूचना पट्ट का अभाव पाया गया।			
			9	कोटा	लाडपुरा	बनियानी	ग्रेवल सड़क निर्माण धनराज मीणा के खेत से सीमनहेडी ग्राम पंचायत बनियानी निर्माण कार्य	कार्य नहीं किया गया/कार्यस्थल पर कोई कार्य नहीं पाया गया
						बोराबास	रास्ता निर्माण कार्य माता जी से बग्गी रोड	कार्य स्वीकृत पर कोई कार्य नहीं करवाया गया व कार्य की गुणवत्ता सही नहीं पाई गई।
10	नागौर	परबतसर	बीजावास	जोड़ की नाडी खुदाई कार्य भेरवास -	कार्य जेसीबी मशीन से करवाया गया है। मौके पर श्रमिकों के जोब कार्ड नहीं मिले			
				पारवाली नाडी की गाद निकासी व विस्तार कार्य भेरवास	कार्य जेसीबी मशीन से करवाया गया है। मौके पर श्रमिकों के जोब कार्ड नहीं मिले			

11	सीकर	पीपराली	कुडली	बिरदा राम/मुलाराम के खेत में टंका एवं समतलीकरण कार्य	कार्य नहीं किया गया/कार्यस्थल पर कोई कार्य नहीं पाया गया। सूचना पट्ट का अभाव।
				दाना राम /अर्जुन राम मीणा के खेत में टंका व समतलीकरण कार्य	कार्य नहीं किया गया/कार्यस्थल पर कोई कार्य नहीं पाया गया। सूचना पट्ट का अभाव।
	पलसाना	अलोदा	प्रहलाद/छीतर नायक के खेत में मेडबन्दी समतलीकरण पशु आश्रय निर्माण कार्य	जीएसटी नहीं। फाईल में मस्ट्रोल नहीं।	
			गीता देवी/रामकुमार वर्मा के खेत में मेडबन्दी समतलीकरण पशु आश्रय निर्माण कार्य	फाईल में मस्ट्रोल नहीं।	
			सुभाष/गोपाल मीना के खेत में मेडबन्दी समतलीकरण पशु आश्रय निर्माण कार्य	फाईल में मस्ट्रोल नहीं।	
			रामकुमार पुत्र श्री मालूराम बलाई के खेत में मेडबन्दी टंका एवं पशु आश्रय निर्माण कार्य	खुदाई कार्य जेसीबी मशीन से करवाया गया है। चिनाई कार्य ठेकेदार द्वारा टंका लिकेज है।	
			मिश्री देवी/हिरालाल बलाई के खेत में मेडबन्दी समतलीकरण टंका एवं पशु आश्रय निर्माण कार्य	खुदाई कार्य जेसीबी मशीन से करवाया गया है। चिनाई कार्य ठेकेदार द्वारा टंका लिकेज है।	
			मुकेश/बाबुलाल टंका निर्माण एवं पौधारोपण कार्य	खुदाई कार्य जेसीबी मशीन से करवाया गया है। चिनाई कार्य ठेकेदार द्वारा टंका लिकेज है।	
			झुमा देवी/लालचन्द के खेत में मेडबन्दी समतलीकरण टंका एवं पशु आश्रय निर्माण कार्य	खुदाई कार्य जेसीबी मशीन से करवाया गया है। चिनाई कार्य ठेकेदार द्वारा साईन बोर्ड पर व्यय राशि अकिंत नहीं।	
			रघुनाथ/रामेश्वर टंका निर्माण एवं पौधारोपण कार्य	खुदाई कार्य जेसीबी मशीन से करवाया गया है। चिनाई कार्य ठेकेदार द्वारा	
		सावलपुरा	धुडाराम/रामूराम बलाई भूमि समतलीकरण टंका एवं पशु आश्रय निर्माण कार्य	खुदाई कार्य जेसीबी मशीन से करवाया गया है। चिनाई कार्य ठेकेदार द्वारा टंका लिकेज है।	
			कालूराम/रामूराम के खेत में मेडबन्दी समतलीकरण टंका एवं पशु आश्रय निर्माण कार्य	खुदाई कार्य जेसीबी मशीन से करवाया गया है। चिनाई कार्य ठेकेदार द्वारा 48 कट्टे सिमेन्ट लगी जो बिल में 68 कट्टे है।	
			दानाराम/भागीरथ मल बलाई के खेत में भूमि समतलीकरण टंका एवं पशु आश्रय निर्माण कार्य	खुदाई कार्य जेसीबी मशीन से करवाया गया है। चिनाई कार्य ठेकेदार द्वारा	
			प्रकाश/छीतर भूमि समतलीकरण एवं टंका निर्माण कार्य	खुदाई कार्य जेसीबी मशीन से करवाया गया है। चिनाई कार्य ठेकेदार द्वारा	
			फुलचन्द/सीताराम बलाई के खेत में मेडबन्दी समतलीकरण टंका एवं पशु आश्रय निर्माण कार्य	खुदाई कार्य जेसीबी मशीन से करवाया गया है। चिनाई कार्य ठेकेदार द्वारा	
			सार्वजनिक शमशान भूमि में टंका निर्माण व पौधारोपण कार्य	जेसीबी से खुदाई कार्य निर्माण में हैण्डपम्प नहीं टंके की गुणवत्ता नहीं	
			चारदिवारी मिट्टी भराव एवं टंका निर्माण सार्वजनिक शमशान भूमि कार्य	मिट्टी भराव नहीं।	
			जोहड खुदाई सरकारी भूमि कार्य	खुदाई कार्य जेसीबी मशीन से करवाया गया है। चिनाई कार्य ठेकेदार द्वारा 48 कट्टे सिमेन्ट लगी जो बिल में 68 कट्टे है।	

सामाजिक अकेंक्षण में पायी गयी वित्तीय विचलन
(Financial Deviation)

क्र सं	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	अनियमितता
1	बांसवाडा	अरेथूना	घनेवा	अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये
			मलाणा	व्यय राशि स्वीकृत संशोधित राशि से अधिक है
			लागत	बिना सुपर चेक माप के अंतिम भुगतान कर दिया गया है
2	बाड़मेर	चौहटन	कापरा	भुगतान व कार्य में समानुपात नहीं है
3	बाड़मेर	चौहटन	धारासर	भुगतान व कार्य में समानुपात नहीं है
4	भरतपुर	कुम्हेर	बेलारा कला	कार्यस्थल पर माप और एमबुक में दर्ज मूल्यों के बीच महत्वपूर्ण अंतर
5	भीलवाडा	आसीन्द	कालियास	एक ही काम बार-बार लिया गया है
			भोजपुरा	कार्यानुसार भुगतान नहीं
6	बीकानेर	बीकानेर	नाल बड़ी	एम बुक में अंकगणितीय त्रुटियों के कारण अधिक भुगतान
7	दौसा	महवा	हुडला	बिना तकनीकी प्राक्कलन के कार्य प्रारंभ किया गया
			जटवाड़ा	बिना तकनीकी स्वीकृति के कार्य शुरू किया गया
			कमालपुर	अपात्र कार्य की स्वीकृति
			गाजीपुर	अपात्र कार्य की स्वीकृति
			गहनौली	तकनीकी अनुमान में अतिरिक्त मान
			खेड़ला बुजुर्ग	बिना तकनीकी स्वीकृति के कार्य शुरू किया गया
			टेकड़ा	बिना तकनीकी प्राक्कलन के कार्य प्रारंभ किया गया
			नाहिड़ा	बिना तकनीकी प्राक्कलन के कार्य प्रारंभ किया गया
			पलानहेड़ा	बिना प्रशासनिक क स्वीकृति के कार्य शुरू किया गया
			शहदपुर	बिना तकनीकी प्राक्कलन के कार्य प्रारंभ किया गया।
			सालिमपुर	
			पावटा	
			सांथा	व्यय राशि स्वीकृत राशि से अधिक है
			पाखर	ग्राम सभा की मंजूरी के बिना काम शुरू किया गया
			बाड़ाबुजुर्ग	बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कार्य शुरू किया गया
			उकरुंद	बिना तकनीकी स्वीकृति के कार्य शुरू किया गया
			टिकारी किलानोट	सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए
			पाली	सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए
			समलेटी	सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए एनएमआर तैयार नहीं किए गए
			सलेमपुर	सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए
			तालचिड़ी	ग्राम सभा की अनुमति से कार्य शुरू नहीं किया गया
			हडिया	अपात्र कार्य की स्वीकृति
			रींदली	निजी भूमि पर सार्वजनिक कार्य कराया गया है
			केसरा	निजी भूमि पर सार्वजनिक कार्य कराया गया है
			खेड़ला गदाली	निजी भूमि पर सार्वजनिक कार्य कराया गया है
			रामगढ	निजी भूमि पर कार्य – हितग्राही के पास जॉब कार्ड नहीं है
			श्रसीदपुर	निजी भूमि पर सार्वजनिक कार्य कराया गया है
			खौंचपुरी	
			पीपलखेड़ा	
			पाटौली	
			कोट	
			खानपुर	
			खोहरा मुल्ला	
खानपुर				
धौलखेड़ा	तकनीकी अनुमान में अतिरिक्त मान			

			हल्दैन	व्यय राशि स्वीकृत राशि से अधिक है बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कार्य शुरू किया गया कुछ अन्य योजना में भी यही काम किया गया
			गढहिम्मत सिंह	भुगतान एमबुक प्रविष्टियों के बिना किया गया है व्यय राशि स्वीकृत संशोधित राशि से अधिक है
			ढण्ड	बिना तकनीकी प्राक्कलन के कार्य प्रारंभ किया गया
			बड़ागाँव	
			बनावड	
			औण्डमीना	
8	जयपुर	दूदू	डसेवा	व्यय राशि स्वीकृत राशि से अधिक है
9	जैसलमेर	नाचना	नोख	ग्राम सभा की मंजूरी के बिना कार्य शुरू किया गया
			अवाय	ग्राम सभा की मंजूरी के बिना कार्य शुरू किया गया
			शेखों का तला	ग्राम सभा की मंजूरी के बिना कार्य शुरू किया गया
			जालूवाला	
			भारेवाला	
अनकल का तला				
10	जालौर	सयाला	आवलोज	सोशल ऑडिट के लिए एफटीओ तैयार नहीं किए गए। सोशल ऑडिट के लिए बिल और वाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए
11	झुंझुनू	उदयपुरवाटी	बागोली	आनुपातिक व्यवहार कार्य नहीं होता है
		चिरावा	धतरवाला	उक्त दोनों कार्यों का बिल फाइल में नहीं मिला कार्य रिकॉर्ड (समापन रिपोर्ट, फोटो, संपत्ति रजिस्टर सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया)
12	जोधपुर	भोपालगढ	नदिया प्रभावती	मौके पर कार्य नहीं मिला
		लोहावत	पल्लीदेवते	मनरेगा कार्यस्थल पर सूचना पट्ट नहीं पाये। सुखराम पुत्र जगमालाराम के खेत में टांका निर्माण कार्य मौके पर नहीं पाया गया पुराना टांका दिखाया गया। कुल 96611 रुपये रिकवरी राशी जिसका पूर्ण विवरण प्रपत्र 8 में सलग्न हैं ग्राम पंचायत द्वारा रिकार्ड की एक भी फोटो कोपी नहीं दी गई एम आई एस रिपोर्ट के आधार पर भौतिक सत्यापन कार्य किया गया। नरेगा के सात रजिस्टर नहीं दिये गये 6 दिन के सामाजिक अकॅक्षण के दौरान मात्र एक दिन ग्राम पंचायत खोली गई। ग्राम विकास अधिकारी सामाजिक अकॅक्षण के दौरान एक दिन भी पंचायत नहीं आये ग्राम सभा के दौरान एल डी सी मुकेश गुर्जर ने ही कार्यवाही लिखी 2021 22 का दिवार लेखन नहीं किया गया 2020 21 का दिवार लेखन स्कूल की भीतरी दीवार पर किया गया जो आमजन की पहुंच से दूर था।
		डेचु	भोजाकोर	आनुपातिक व्यवहार कार्य नहीं होता है। सूचना पट्ट नहीं मिला।
		पीपाड शहर	सालवा खुर्द	बिना चेक माप और सुपर चेक माप के भुगतान किया गया है। सूचना पट्ट नहीं मिला।
		सेखला	सेखला	सूचना पट्ट नहीं मिला।
		भोपालगढ	नदिया प्रभावती	सूचना पट्ट नहीं मिला। बिना मेजरमेंट राशि प्राप्त कर ली गई।
				सूचना पट्ट नहीं मिला।
				एमआईएस रिपोर्ट अनुसार राशि अन्य कार्य के अन्तर्गत है। सूचना पट्ट नहीं मिला। सूचना पट्ट नहीं मिला।
		गांधीसागर	सूचना पट्ट नहीं मिला। ग्राम सभा की मंजूरी के बिना कार्य शुरू किया गया।	
		बापिनी	मतोडा	आनुपातिक व्यवहार कार्य नहीं होता है।
धावा	सुबदण्ड	तकनीकी अनुमान में अतिरिक्त मान।		
13	करौली	सपोतरा	जाखौदा	सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए व एनएमआर तैयार नहीं किए गए। बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कार्य शुरू किया गया।
14	नागौर	देगाना	चंदारूण	भुगतान एमबुक प्रविष्टियों के बिना किया गया है

**सामाजिक अंकेंक्षण में पायी गयी प्रक्रियाओं का उल्लंघन
(Process Violation)**

क सं	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	अनियमितता
1	बांसवाडा	अरेथूना	पंचवाडा	सामाजिक अंकेंक्षण के लिए पंचायत रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया
			सारनपुर	कार्य का चयन ग्राम सभा के प्रस्तावों के माध्यम से नहीं किया जाता है
2	बाडमेर	सिवाना	महिलावास	नागरिक सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं
			महिलावास	दीवार लेखन नहीं किया गया है
			महिलावास	जॉब कार्डों का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है
4	दौसा	महवा	धौलखेड़ा	कर्मचारियों की रिक्तियों के कारण खराब कार्यान्वयन हुआ है
5	जयपुर	जालसू	जालसू	काफी समय से काम पूरा नहीं हुआ है
			अनोपपुरा	अन्य अभिलेखों में अनियमितता
6	डूंगरपुर	डूंगरपुर	बोरी	कार्यों की पहचान करने के लिए व्यवस्थित और भागीदारीपूर्ण योजना अभ्यास आयोजित नहीं किया गया था
			बटका फला	दीवार लेखन नहीं किया गया है
			गोकुलपुरा	जॉब कार्ड आवेदन रजिस्टर का रख-रखाव खराब है
			गुमानपुरा	
			गामडी देवल	कार्यस्थल पर मेट उपलब्ध नहीं है
			घूघरा	
		घूघरा		
		झोंथरी	वासुआ	
		वाणिया तालाब		
7	भीलवाडा	आसीन्द	लाछूडा	नागरिक सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं
			लाछूडा	कार्यस्थल पर मेट उपलब्ध नहीं है।
			मोड का निम्बाहेडा	नागरिक सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं
			रुघनाथपुरा	जॉब कार्ड श्रमिकों के पास नहीं हैं
		बदनोर	मोथी	कार्य की गुणवत्ता खराब है
			मोटरास	
			मेगर	
			मेगर	
			श्रामपुरा	
		करजालिया	जॉब कार्ड श्रमिकों के पास नहीं हैं	
		टामेसर	नागरिक सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं	
		कटार	कार्यस्थल सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं	
		आसिन्द	श्रतनपुरा	दीवार लेखन नहीं किया गया है
				नागरिक सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं
			रुपपुरा	जॉब कार्डों का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है
				दीवार लेखन नहीं किया गया है
				मेडिकल किट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं
			सरेरी	काम की गुणवत्ता खराब है
			सरेरी	
			नेगडिया	साथियों को ठीक से प्रशिक्षण नहीं दिया गया है
नेगडिया	कार्यस्थल पर मेट उपलब्ध नहीं है			
दडावट	जेसी और ऑनलाइन प्रविष्टि के बीच काम किए गए दिनों और अर्जित मजदूरी में अंतर			
जीन्द्रास	नागरिक सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं			
बदनौर	चैनपुरा	काम की गुणवत्ता खराब है		
करेड़ा	चिताम्बा	गैर-मुक्त पंचायत के लिए ईएफएमएस के माध्यम से भुगतान नहीं किया गया		
मंडलगढ़	बल्दरखा	जॉब कार्ड आवेदन रजिस्टर का रख-रखाव खराब है		
आसीन्द	वांवलास	कार्य स्थल पर नागरिक बोर्ड उपलब्ध नहीं है		
करेडा	करेडा	गैर-मुक्त पंचायत के लिए ईएफएमएस के माध्यम से भुगतान नहीं किया गया		

सामाजिक अकेंक्षण में पायी गयी परिवेदनाएँ (Grievance)

क्र.सं	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	अनियमितता
1	बांसवाडा	अरेथूना	वखतपुरा	काम के लिए आवेदन
			जेलाना	काम के लिए आवेदन
2	बाड़मेर	सिवाना	कुसीप	अवैतनिक मजदूरी के भुगतान हेतु शिकायत-आवेदन
			कुसीप	शिकायत - कार्यस्थल पर पेयजल की व्यवस्था न होना
		चौहटन	नेतराड़	काम के लिए आवेदन
		सिणधरी	थबलासर	शिकायत निवारण के लिए शिकायत-आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई
3	भरतपुर	नदबई	कांगडी	बैंक पासबुक के लिए आवेदन
4	भीलवाड़ा	आसीन्द	ससेरी	शिकायत - कार्यस्थल पर सुविधाएं उपलब्ध न कराना
5	बीकानेर	लुनकरणसर	खोडाला	शिकायत निवारण के लिए शिकायत-आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई
			भखूसर	आधार कार्ड के लिए आवेदन
		पान्छु	ढीगसरी	शिकायत- आधारकार्ड नहीं मिल पा रहा है
			ढीगसरी	आधार कार्ड के लिए आवेदन
6	चित्तौड़गढ़	भादेसर	नपावली	शिकायत - कार्यस्थल पर पेयजल की व्यवस्था न होना
7	चुरु	सरदार शहर	बन्धनाऊ दिखनाडा	शिकायत निवारण के लिए शिकायत-आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई
	चुरु	सरदार शहर	बन्धनाऊ दिखनाडा	शिकायत निवारण के लिए शिकायत-आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई।
8	धौलपुर	बाड़ी	कंचपुर	शिकायत - जॉब कार्ड अपडेट नहीं है।
			मरहोली	
			मत्सूरा	बैंक खाते के लिए आवेदन
			नगला बीधौरा	शिकायत - जॉब कार्ड अपडेट नहीं है
			नीमखेड़ा	जॉब कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन
			रुधेरा	शिकायत - जॉब कार्ड अपडेट नहीं है
			रुधेरा	
			रुधेरा	
			नोरहा	
			सिगोरई	
			सनोरा	जॉब कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन
			लखेपुरा	
			सेवरपाली	शिकायत - जॉब कार्ड अपडेट नहीं है
			टोंटरी	नए जॉब कार्ड के लिए आवेदन
			डमरेह	
			कुदिन्ना	
			नकसौदा	
			खानपुर मैना	
			धानु का पुरा	
			बहादुरपुर	
नगला दूल्हेखौ				
सहेडी	जॉब कार्ड पुनः आवेदन के लिए सक्षम नहीं			
रुपसपुर	जॉब कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन			
सेंहा	जॉब कार्ड नवीनीकरण के लिए पुनः आवेदन			
पिदावली	शिकायत - जॉब कार्ड अपडेट नहीं है			
हथवारी	जॉब कार्ड अपडेट नहीं है			
	शिकायत निवारण के लिए शिकायत-आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई			
बिजौली	शिकायत - जॉब कार्ड अपडेट नहीं है			

			बसईडांग	बैंक खाते के लिए आवेदन
			अजीतपुरा	शिकायत – जॉब कार्ड अपडेट नहीं है
			बरपुरा	आधार कार्ड के लिए आवेदन
			अलीगढ	शिकायत – जॉब कार्ड अपडेट नहीं है
			गढ़ी खीराना	नए जॉब कार्ड के लिए आवेदन
			जपावली	
			जपावली	
			गढीसुकखा	शिकायत – जॉब कार्ड अपडेट नहीं है
			चिलाचौंद	
			कांसपुरा	
			कस्वानगर	
9	डूंगरपुर	साबला	भाडगा	ग्राम सभा के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गयी है।
10	हनुमानगढ़	भद्रा	भरवाना	शिकायत – कार्यस्थल पर सुविधाएं उपलब्ध न कराना
		भद्रा	छानी बड़ी	परिवार के अतिरिक्त सदस्य को जोड़ने के लिए आवेदन
		हनुमानगढ़	जोड़किया	शिकायत निवारण के लिए शिकायत-आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई
		रावतसर	बुधवैली	
			भाखरावाली	
			बिसरासर	
			भेरुसरी	
			22 ए-जी-15	
			के-डबल्यू-डी-	
		नोहर	बड़बिराना	शिकायत – जॉब कार्ड अपडेट नहीं है
	भंगूली	शिकायत निवारण के लिए शिकायत-आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई		
रावतसर	25 RWD			
11	जयपुर	दूद	छूदू	शिकायत – जॉब कार्ड अपडेट नहीं है
			छूदू	नए जॉब कार्ड के लिए आवेदन
			छूदू	शिकायत – जॉब कार्ड अपडेट नहीं है
			धांधोली	
			धांधोली	
			गैजी	
			गैजी	
			नानण	
			नानण	
			ममाणों	
		धांधोली		
			डसेवा	काम के लिए आवेदन
		मौजमाबाद	गाडोता	शिकायत – जॉब कार्ड अपडेट नहीं है
			अखेपुरा	
		सांगानेर	गोनेर	ग्राम सभा नियमित रूप से आयोजित नहीं की जाती है
		जालसू	अनोपपुरा	शिकायत निवारण के लिए शिकायत-आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई
		किशनगढ़ रेनवाल	ढीन्डा	शिकायत निवारण के लिए शिकायत-आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई
सांभर	ढीन्डा	बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं किया जा सका		
	खण्डेल	काम के लिए आवेदन आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु आवेदन		

12	जैसलमेर	मोहनगढ	सदरउ	जॉब कार्ड का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है
			शास्त्री नगर	जॉब कार्ड अपडेट नहीं
			मंडाउ	
			खीयां	
			मोहनगढ	जॉब कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन
			देवा	जॉब कार्ड के लिये आवेदन
			फुलासर	
			काठोडी	
			बोहा	जॉब कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन
			कानोद	
			नेहडाइ	
			खींवसर	
			बांकलसर	बैंक पासबुक के लिये व बैंक खाते के लिये आवेदन
			बाहला	बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं किया जा सका व कार्य स्थल पर कार्य प्राप्त नहीं हुआ।
			सुल्ताना	कार्य प्राप्त नहीं हुआ।
			ताडाना	
शेखासर				
भागो का गांव	शिकायत निवारण के लिए आवेदन दर्ज नहीं किया गया या उस पर कार्रवाई नहीं की गई			
13	जालौर	सयाला	चोराउ	शिकायत निवारण के लिए आवेदन दर्ज नहीं किया गया या उस पर कार्रवाई नहीं की गई
		साचौर	आवलोज	आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं
			अरणाय	शिकायत निवारण के लिए आवेदन दर्ज नहीं किया गया या उस पर कार्रवाई नहीं की गई
		भीनमाल	मोदराय	शिकायत निवारण के लिए आवेदन दर्ज नहीं किया गया या उस पर कार्रवाई नहीं की गई
14	झालावाड	बकानी	खेरिया	जॉब कार्ड अपडेट नहीं
			गरवाडा	
			देवनगर	
			बकानी	
			बडाय	नये जोब कार्ड के लिए आवेदन
			बरखेडा कलां	
			छेवरी	
			गुराखेडा	आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ।
		बडबड	नये जोब कार्ड के लिए आवेदन।	
		झुंझुंनू	कुलोद कलां	कार्यस्थल पर छाया की व्यवस्था न होना।
		मण्डावा	शेखसर	कार्य पर सूचना बोर्ड नहीं मिला
		झुंझुंनू	बाकरा	दिव्यांगों को उनके वाजिब वेतन का भुगतान नहीं किया गया है कार्यस्थल पर सुविधाएं उपलब्ध न करवाई गयी।
			बासनानग	
			भडून्दा खूर्द	कार्य पर सूचना बोर्ड नहीं मिला।
			अजाडीकलां	
		मण्डावा	भीमसर	कार्यस्थल पर बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था न होना, कार्यस्थल पर सुविधाएं उपलब्ध न करवाई गयी व सूचना बोर्ड उपलब्ध नहीं।
अजीतगढ	कार्यस्थल पर सुविधाएं उपलब्ध न करवाई गयी।			
भारू	कार्यस्थल पर सुविधाएं उपलब्ध न करवाई गयी। सूचना बोर्ड उपलब्ध नहीं।			
भादरवास	कार्यस्थल पर सुविधाएं उपलब्ध न करवाई गयी, कार्यस्थल पर कार्य प्राप्त नहीं।			
भीखनसर	जेसीबी से कार्य किया हुआ बताया गया है व कार्यस्थल पर कार्य प्राप्त नहीं।			

	जोधपुर	आउ	सारणपुर	आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई आधार कार्ड के लिये आवेदन किया गया।	
		बपिनी	भाण्डा	आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई	
				आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई	
	करौली	मन्डरायल	चन्देलीपुर	आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई	
				नीदर	सार्वजनिक नहर कार्य के लिए आवेदन लिया जाना है।
				लौंगरा	ग्राम सभा नियमित रूप से आयोजित नहीं की जाती है
16	कोटा	सनगोद	बालुहेडा	आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई	
17	नागौर	परबतसर	बजवास	लेबर के पास जॉब कार्ड नहीं मिला।	
		डीडवाना	आगुन्ता	आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई	
		डेगाना	चंदारुण	जॉब कार्ड अपडेट करवाना।	
18	पाली	रोहत	धोलेरिया सासन	कार्यस्थल पर पेयजल की व्यवस्था न होना	
		धालोट	लुहारखाली	कार्यस्थल पर पेयजल की व्यवस्था न होना	
20	प्रतापगढ	धारियावाद	गोपालपुरा	रोजगार के दौरान और उससे उत्पन्न चोट के लिए मजदूरी मुआवजे का भुगतान करने के लिए आवेदन	
			गोठडा	आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई	
			छेवला	आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई	
			गरडा	आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई	
			दांतलिया	आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई	
			चितोडिया	आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई	
			झडोली	आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई	
			खुन्ता		
			हजारीगुढा		
			गाडरियावास		
			लोडी माण्डवी		
			जूना बोरिया		
			मूंगाना		
			नलवा		
			नया बोरिया		
			पीपलिया		
			पहाडा	आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई	
			शकरकंद		
			नाड		
			पारेल		
			सिहाड		
			वेजतपुरा		
			परसोला		
वलीसीमा					
केसरपुरा					
लोदिया					
ग्दवास					
मनपुर					
मांडवी					

		चरनिया शिवपुरी परवारिया साग जवाहर नगर केशरियावाद मुनिया बजपुरा चरी चरपोटिया आड अणंत भोजपुर टंबव भरकुण्डी बिलडिया भांडला	आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई आवेदन दर्ज नहीं किया गया और न ही उस पर कार्रवाई की गई
	धामोतर	खेडानहारसिंह माता खूंटगढ खोरिया धिकानिया ग्यासुर कुलमीपुरा मधुरा तालाब नकोर मंदकला मगरी मेरियाखेडी बारावरदा बओरीखेडा देवगढ धमोतर केसरपुरा खेडा (काजलीखेडा) थडा नारायण खेडा पल रठाजनां सरिपिपली टीला बमबोली बरखेडा (रामपराड) बरडिया बिहारा छेवपुरा	आधार कार्ड के लिये आवेदन किया गया है। आधार कार्ड के लिये आवेदन किया गया है।
	छोटीसदरी	धावता बरखेरी अचलपुरा चान्दोली	रोजगार के दौरान और उससे उत्पन्न चोट के लिए मजदूरी मुआवजे का भुगतान करने के लिए आवेदन जॉब कार्ड नहीं मिल पा रहा है कार्य आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है व पीएम आवास का वेतन अप्राप्त।

			बसेरी कुन्दल	पीएम आवास का वेतन अप्राप्त व खेत का ग्रेवल रोड ठिक कराने हेतु।
			बसेरी कुन्दल	पीएम आवास का वेतन अप्राप्त।
			भाटखेरी	सूचना पट्ट का अभाव।
			बरखेडा (रामपराड)	आधार कार्ड के लिये आवेदन किया गया है।
			बरडिया	
			बिहारा	
			देवपुरा	
			धावता	रोजगार के दौरान और उससे उत्पन्न चोट के लिए मजदूरी मुआवजे का भुगतान करने के लिए आवेदन
			बरखेरी	जॉब कार्ड नहीं मिल पा रहा है
			अचलपुरा	जॉब कार्ड नहीं मिल पा रहा है
				जॉब कार्ड नहीं मिल पा रहा है
			चान्दोली	कार्य आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है
			चान्दोली	पीएम आवास का वेतन अप्राप्त।
			बसेरी कुन्दल	पीएम आवास का वेतन अप्राप्त व खेत का ग्रेवल रोड ठिक कराने हेतु।
			बसेरी कुन्दल	पीएम आवास का वेतन अप्राप्त।
			भाटखेरी	सूचना पट्ट का अभाव।
22	सवाई माधोपुर	गंगापुरा सिटी	जीवली	सूचना बोर्ड उपलब्ध नहीं।
			बामनबडोदा	कार्य स्थल पर सुविधाएँ उपलब्ध नहीं।
23	सीकर	पीपराली	गोकुलपुरा	सूचना बोर्ड उपलब्ध नहीं।
		श्रीमाधोपुर	अरिणाया	जोब कार्ड अपडेट नहीं।
24	श्रीगंगानर	श्रीविजयनगर	29 जीबी	IAY योजना के तहत घर के लिए आवेदन
			1 एमएसडी (मधेवाली ढाणी)	नए जॉब कार्ड के लिये आवेदन में तकनीकी समस्या।



Government of Rajasthan

Society for Social Audit, Accountability and Transparency (SSAAT) Rajasthan, Jaipur

सामाजिक लेखा परीक्षा, जबाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी

* सामाजिक लेखा परीक्षा, जबाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी *
SSAAT, RAJASTHAN

Made by: SRP SABA HASHMI